

छत्तीसगढ़ शासन,
जल संसाधन विभाग,
मंत्रालय,
महानदी भवन, अटल नगर
जिला—रायपुर (छ.ग.)

क्रमांक 3683 / एफ—२—०८/३१ / एस—२/२०१९, अटल नगर, दिनांक २६/०८/२०१९
प्रति,

मुख्य अभियंता,
महानदी गोदावरी कच्छार,
जल संसाधन विभाग,
रायपुर (छ.ग.)

विषय :— दुर्ग जिले के विकासखण्ड—दुर्ग की तिरगा एनीकट की अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम तटों पर पिचिंग कार्य की प्रशासकीय स्वीकृति।

संदर्भ :— प्र.अ. का पत्र क्र.—1214 / बोधी / तटबंध / AA / 2019 / 5676, रायपुर, दि. 14.05.2019.

राज्य शासन एतद् द्वारा दुर्ग जिले के विकासखण्ड—दुर्ग की तिरगा एनीकट की अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम तटों पर पिचिंग कार्य हेतु लागत राशि रु. 228.05 लाख (रूपये दो करोड़ अट्ठाईस लाख पाँच हजार) मात्र की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान करता है।

2. कार्य विभाग नियमावली की कंडिका 2.006 के नीचे दिये गये नोट ३(बी) एवं ३(सी) के अनुसार योजना की तकनीकी स्वीकृति दी जाकर एवं अन्य अभीष्ट औपचारिकताओं को पूर्ण करने के पश्चात् निर्माण कार्य प्रारंभ किया जावे तथा कार्य पूर्ण होने के उपरांत योजना का पूर्णता प्रमाण—पत्र शासन को दिया जावे।
3. छत्तीसगढ़ वित्तीय संहिता भाग—एक के नियम—१० के अनुसार मुख्य अभियंता का यह दायित्व है कि वे कार्य पर नियंत्रण रखें तथा उनके कार्यालय तथा अधीनस्थ आहरण वितरण अधिकारियों द्वारा प्रशासकीय वित्तीय नियमों का पालन हो।
4. योजना पर व्यय बजट शीर्ष मांग संख्या—२३, लेखाशीर्ष—४७११, बाढ़ नियंत्रण परियोजनाओं पर पूँजी परिव्यय, {०१} बाढ़ नियंत्रण, {१०३}—सिविल निर्माण कार्य (६७५७) बाढ़ नियंत्रण योजनाएं, ०१०१—राज्य आयोजना (सामान्य) #२६ वृहद निर्माण कार्य, ००५ बांध एवं नहर के अंतर्गत विकलनीय होगा।
5. छ.ग.शासन, वित्त एवं योजना विभाग मंत्रालय के वित्त निर्देश २५/२०१२ अनुसार गठित समिति की बैठक दिनांक ०२.०८.२०१९ द्वारा सहमति प्राप्त है।
6. योजना का कार्य स्वीकृत राशि एवं निर्धारित समयावधि के अंतर्गत ही पूर्ण किया जाना सुनिश्चित करें।
7. निर्माण कार्य की लागत में मितव्ययता को सुनिश्चित किया जावे।
8. संबंधित मुख्य अभियंता/अधीक्षण अभियंता/कार्यपालन अभियंता निर्माण कार्य की उच्च गुणवत्ता सुनिश्चित करें।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(याकुब खस्स) १९
संयुक्त सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
जिल संसाधन विभाग

पृ.क्रमांक ३६४ / एफ-२-०८/३१ / एस-२/२०१९,

अटल नगर, दिनांक २६/०८/२०१९

प्रतिलिपि:-

1. प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री जी, छत्तीसगढ़ शासन, मंत्रालय, महानदी भवन, अटल नगर।
2. निज सचिव, माननीय मुख्यमंत्री जी (निवास), छत्तीसगढ़ शासन, रायपुर।
3. विशेष सहायक, माननीय मंत्री जी, जल संसाधन विभाग, छत्तीसगढ़ शासन, मंत्रालय, महानदी भवन, अटल नगर।
4. अपर मुख्य सचिव (वित्त), छत्तीसगढ़ शासन, मंत्रालय, महानदी भवन, अटल नगर।
5. सचिव, जल संसाधन विभाग छत्तीसगढ़ शासन, मंत्रालय, महानदी भवन, अटल नगर।
6. महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी, जीरो पाइन्ट, बलौदाबाजार रोड, रायपुर।
7. महालेखाकार (लेखा परीक्षा), जीरो पाइन्ट, बलौदाबाजार रोड, रायपुर।
8. कलेक्टर, जिला-दुर्ग (छ.ग.)।
9. संचालक जनसंपर्क संचालनालय, इन्द्रावती भवन, अटल नगर।
10. प्रमुख अभियंता, जल संसाधन विभाग, शिवनाथ भवन, नार्थ ब्लॉक, सेक्टर-१९, अटल नगर।
11. उप संचालक, मंत्रालय प्रेस प्रकोष्ठ कक्ष क्र.-एम ४-२२ अटल नगर।
12. अधीक्षण अभियंता, एम.आई.एस.यूनिट स्टेट डाटा सेंटर, प्रमुख अभियंता, जल संसाधन विभाग परिसर, रायपुर (छ.ग.)।
13. अधीक्षण अभियंता, शिवनाथ मण्डल दुर्ग, जिला-दुर्ग।
14. कार्यपालन अभियंता, तांदुला जल संसाधन संभाग दुर्ग, जिला-दुर्ग।
की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।
15. आदेश फोल्डर।

२६/०८/२०१९
संयुक्त सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
जल संसाधन विभाग